विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 15 मार्च, 2013 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 57वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की सत्तावनवीं (57वीं) बैठक श्री एस आर राव, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 15 मार्च, 2013 को अपराह्न 03.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 577 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से इस समय 385 एसईजेड अधिसूचित हो गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि 13 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, एसईजेड में 2,38,990.18 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 10,19,146 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2011-13 के दौरान, एसईजेड से 3,64,477.73 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो वर्ष 2010-11 के लिए निर्यात की तुलना में लगभग 15.39 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष में 31 दिसंबर, 2012 तक 3,53,194.90 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है जो वित्त वर्ष 2011-12 की समतुल्य अवधि में निर्यात की तुलना में 35.34 प्रतिशत अधिक है।

मद संख्या 57.1: विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) चक गजारिया फार्म, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 21 फरवरी, 2013 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 40 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में चक गजारिया फार्म, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 52.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार / सह विकासक करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेंमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू एसईजेड अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर लागू है। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के प्रस्तावों के साथ पट्टा विलेख

/ प्रारूप विलेख संलग्न होना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ विकासक एवं प्रस्तावित सह विकासक के बीच वित्तीय लेनदेन / व्यवस्था का ब्यौरा होना चाहिए। प्रस्तावों पर अनुमोदन बोर्ड के निर्णय इस प्रकार हैं :

(i) जे मातादी फ्री ट्रेड जोन प्राइवेट लिमिटेड जो मन्नूर एवं वलारपुरम गांव, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में एफटीडब्ल्यूजेड है, में प्रचालनों की स्थापना के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स वेजल वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड से आवेदन

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में प्रस्तावित सह विकासक के 19.77 एकड़ के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एफटीडब्ल्यूजेड में निम्नलिखित के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स वेजल वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंज़ूरी प्रदान की :

(i) डिजाइन, विकास, प्रबंधन एवं निर्माण सहित अतिरिक्त वेयरहाउस का विकास
(ii) मौजूदा वेयरहाउस का प्रचालन, अनुरक्षण, अनुकूलन तथा विस्तार
(iii) सीवेज, सड़क, लाइटिंग तथा जलापूर्ति सहित सभी अवसंरचना सुविधाओं का प्रावधान

(ii) ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स किंग्स कैनन इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में प्रसंस्करण क्षेत्र में 3.648 एकड़ के क्षेत्रफल में तथा 741036 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र में अवसंरचना के विकास और / या प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स किंग्स कैनन इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि यह अनुमोदन ऐसी अवसंरचना पर लागू होगा जिसे अनुमोदन बोर्ड से मंजूरी प्राप्त करने के बाद सह विकासक द्वारा निर्मित किया गया है / किया जाएगा।

मद संख्या 57.3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) एसईजेड में दूसरा प्रवेश / निकास द्वार प्रदान करने के लिए मैसर्स डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड जो देवुनीपालावालसा, रणस्थलम मंडल, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में कोयला / राख / चावल / भूसी / एचएसडी सहित सामग्रियों के पूर्ण मूवमेंट के लिए एसईजेड की उत्तर दिशा में दूसरा फाटक लगाने के लिए

विकासक के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि किसी अतिरिक्त जनशक्ति, सामग्री आदि पर वहन की गई कोई अतिरिक्त लागत विकासक द्वारा वहन की जाएगी।

(ii) एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन अर्थात 100 कमरों वाले होटल (चरणों में 3-4 स्टार श्रेणी) के निर्माण के अनुमोदन के लिए मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड जो सत्यावेदु मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) / क्षमता (मेगावाट में)
(1)	(2)	(3)	(40	(5)
1.	3 अथवा 4 स्टार होटल	चरणों में 100 कमरे	30 वर्गमीटर के कमरे + 30 वर्गमीटर (वाणिज्यिक क्षेत्र, रेस्टोरेंट, बिजिनस सेंटर आदि)	6000

उपर्युक्त अनुमोदन इस शर्त के अधीन होगा कि उपर्युक्त अधिकृत प्रचालन केवल एसईजेड के प्रयोग के लिए उपलब्ध होंगे।

(iii) अधिकृत प्रचालनों के अनुमोदन के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड जो कट्टूपल्ली गांव, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) / क्षमता (मेगावाट में)
(1)	(2)	(3)	(40	(5)
1.	कार पार्किंग के साथ आवासीय परिसर (ग्राउंड प्लस 8 में 1 और 2 बीएचके)	100	100	10000
2.	सर्विस एरिया के साथ आवासीय परिसर (ग्राउंड प्लस 5 में ट्रांजिट हाउस तथा जीईटी हॉस्टल)	100	60	6000
3.	चिकित्सा / स्वास्थ्य केन्द्र	1	800	800

4.	ग्राउंड प्लस 7 में आवासीय परिसर (शिपक्रू ऑफिसर्स हॉस्टल)	25	116	2900
5.	ग्राउंड प्लस +2 में आवासीय परिसर (शिपक्रू ऑफिसर्स एकमोडेशन)	18	66	1200

उपर्युक्त अनुमोदन इस शर्त के अधीन होगा कि उपर्युक्त अधिकृत प्रचालन केवल एसईजेड के प्रयोग के लिए उपलब्ध होंगे।

मद संख्या 57.4: क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं संबद्ध सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में मैसर्स फ्लेक्सट्रोनिक्स टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने एसईजेड से 25.07 हेक्टेयर के आंशिक विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स फ्लेक्सट्रोनिक्स टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल शेष क्षेत्रफल 76.14 हेक्टेयर रह जाएगा। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि अन्य बातों के साथ एसईजेड की सन्निकटता बरकरार है, विकासक ने कटौती किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, प्रस्ताव पर राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, आदि।

(i) ग्राम ओगनज, तालुक दसक्रोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इंप्रेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक मैसर्स कंबाइंड रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अपने प्रचालनों के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए अनुरोध

गुजरात सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव पर कुछ आपत्तियां व्यक्त की। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सह विकासक के अनुरोध को आस्थगित कर दिया तथा निदेश दिया कि गुजरात सरकार वाणिज्य विभाग को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराए, जिसके बाद वे फाइल पर प्रस्ताव पर निर्णय लेंगे।

मद संख्या 57.5 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) वल्लेनचेरी गांव, गुडुवनचेरी पोस्ट, चेंगलपेट तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 11.09 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एलएंडटी चेन्नई प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जो एलएंडटी अरुण एक्सेलो आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का विकासक है) का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि विकासक द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया है।

(ii) 109-59-07 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स वेलस्पन अंजार एसईजेड लिमिटेड जो अंजार, गुजरात में टेक्सटाइल एवं गारमेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 109-59-07 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अंजार, गुजरात में टेक्सटाइल एवं गारमेंट के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स वेलस्पन अंजार एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा अन्य बातों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, एसईजेड में कोई यूनिट नहीं है या उनको डिबांड किया गया है, प्रस्ताव पर राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, आदि।

बोर्ड के अध्यक्ष ने निदेश दिया कि ऐसे सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीडीटी और सीबीईसी को सूचना भेजना अनिवार्य है।

मद संख्या 57.6: औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) गुड़गांव, हरियाणा में बायोटेक के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स बेस्ट ऑन हेल्थ लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने 40.78 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गुड़गांव, हरियाणा में बायोटेक के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स बेस्ट ऑन हेल्थ लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है, राज्य सरकार को प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है आदि।

(ii) चाकन, जिला पुणे, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में चाकन, जिला पुणे, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के

अधीन है कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है, राज्य सरकार को प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है आदि।

मद संख्या 57.7 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

मद संख्या 57.7.1 : तीसरे साल के बाद औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) उत्तरपारा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स बंगाल श्रीराम हाइटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड से तीसरे वर्ष के बाद एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड ने कहा कि 13 जुलाई 2013 के बाद एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया जा सकता है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

मद संख्या 57.7.2 : तीसरे साल के बाद औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) अदिबाटला गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स काग्नीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध

छोड़ दिया गया है क्योंकि मद संख्या 57.7.3 (iv) में इसका उल्लेख है।

मद संख्या 57.7.3 : पांचवें एवं छठें साल के बाद यूनिटों के औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें

साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) मडिकोंडा गांव, हानमकोंडा मंडल, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 25 जून, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) प्लाट नंबर 6, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 31 अक्टूबर, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स परफेक्ट आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 31 अक्टूबर, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) ग्राम कर्कापटला, मंडल मुलुगू, जिला मेडक, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 अगस्त, 2012 के बाद (पांचवे वर्ष के बाद) दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए 21 अगस्त 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि इस शर्त के अधीन बढ़ाई कि विकासक को इस अवधि के अंदर निर्माण शुरू करना चाहिए।

(iv) अदिबाटला गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 6 जनवरी 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स काग्नीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 6 जनवरी, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(v) ग्राम हरगढ़, तहसील सिहोर, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश में खनिज एवं खनिज आधारित उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए 16 मार्च, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए एमपी औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 16 मार्च, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(vi) ग्राम पारिगी और सेरिकोकुम, पारिगी मंडल, सी कोडीजेपल्ली गांव, मडकसारा मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में बहु सेवा एसईजेड स्थापित करने के लिए 4 फरवरी 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स बेनीफिसेंट नालेज पार्क्स एंड प्रापर्टीज लिमिटेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 4 फरवरी, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(vii) गांधीनगर - सरखेज हाइवे, गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 6 जनवरी 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 6 जनवरी, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(viii) ग्राम ओगनाज, तालुक दसक्रोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 19 दिसंबर 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गणेश इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 19 दिसंबर, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ix) दीमापुर, नागालैंड में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए 11 अक्टूबर 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नागालैंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 11 अक्टूबर, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(x) ग्राम ओगनाज, तालुक दसक्रोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 6 नवंबर 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 6 नवंबर, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xi) त्रिक्काकारा, एर्नाकुलम जिला, केरल में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए 20 फरवरी 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (किनफ्रा) से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 20 फरवरी, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xii) पुथुव्यपीन, कोचीन, केरल में पोर्ट आधारित एसईजेड स्थापित करने के लिए 17 अप्रैल 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 17 अप्रैल, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xiii) कोकापेट गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 22 अक्टूबर 2012 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स हैदराबाद मेट्रोपोलिटन डवलपमेंट एथारिटी से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 22 अक्टूबर, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 57.7.4 : 7वें साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) आदित्यपुर, झारखंड में आटोमोबाइल्स / आटो कंपोनेंट्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 दिसंबर, 2012 के बाद (सातवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट एथारिटी का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 13 दिसंबर, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 57.8 : एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाना

मद संख्या 57.8.1 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (ऐसे मामले जहां दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं)

(i) 5 जनवरी 2013 के बाद (तीसरे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हिंदुस्तान पोलीमाइड्स एंड फाइबर्स लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 5 जनवरी, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 2 फरवरी 2013 के बाद (तीसरे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अलस्टोम भारत फोर्ज पावर लिमिटेड जो मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में एमपीएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 2 फरवरी, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) 2 फरवरी 2013 के बाद (तीसरे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कल्याणी अलस्टोन पावर लिमिटेड जो मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में एमपीएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 2 फरवरी, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 57.8.2 : चार साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 28 जून 2013 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जायडस टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो अहमदाबाद, गुजरात में मैसर्स जायडास फार्मा एसईजेड द्वारा फर्मास्युटिकल्स के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 28 जून, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 31 मार्च 2013 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स रामदेव केमिकल इंडस्ट्रीज जो भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 31 मार्च, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) 30 नवंबर 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गुजरात डाईस्टफ इंडस्ट्रीज जो भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 30 नवंबर, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iv) 5 जनवरी 2013 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टर्लिंग विनायल एडीटिव्स एलएलपी जो भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 5 जनवरी, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(v) 12 मार्च, 2013 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मारसंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा लाइट इंजीनियरिंग के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 12 मार्च, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(vi) 15 दिसंबर 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सन फर्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 15 दिसंबर, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 57.8.3 : पांच साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 27 मार्च 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एक्सएल एनर्जी लिमिटेड जो रवीरयाल / श्रीनगर गांव, महेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेमी कंडक्टर के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने छः माह के लिए अर्थात 27 सितंबर, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 27 फरवरी 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स फुलक्रम वर्ल्डवाइड साफ्टेवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर 14, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए एमआईडीसी द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने छः माह के लिए अर्थात 27 अगस्त, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) 21 जनवरी 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विगोर लैबोरेटरीज जो इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 21 जुलाई, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iv) 4 फरवरी 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स आईगेट पाटनी कंप्यूटर सिस्टम लिमिटेड जो पुणे, महाराष्ट्र में एमआईडीसी के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 4 अगस्त, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(v) 4 फरवरी 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएनजीसी जो दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 5 अगस्त, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(vi) 05 फरवरी, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जियोन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो एमएडीसी एसईजेड, नागपुर की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 5 अगस्त, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(vii) 31 मार्च 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स नगारो साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो जयपुर, राजस्थान में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 30 सितंबर, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

मद संख्या 57.8.4 : एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के विविध मामले

(i) 31 दिसंबर 2012 के बाद फाल्टा एसईजेड की निम्नलिखित प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, फाल्टा से अनुरोध :

1. मैसर्स प्रिसीजन पोलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
2. मैसर्स बावरिया पोली प्राइवेट लिमिटेड जिसका नाम अब मैसर्स कल्पना इंडस्ट्रीज लिमिटेड है
3. मैसर्स अमरनाथ एनवायरोप्लास्ट लिमिटेड
4. मैसर्स आल्पस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि वाणिज्य विभाग द्वारा प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिटों पर नीति को अंतिम रूप दिए जाने के अधीन सभी प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि केवल 30 जून 2013 तक वैध होगी। सभी समान यूनिटों के साथ एकसमान बर्ताव का सुनिश्चय करने के लिए निर्णय लिया गया कि यह निर्णय सभी प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिटों पर लागू होगा जिसमें ऐसी यूनिटें भी शामिल हैं जिन्हें 30 जून 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है।

(ii) 31 मार्च, 2013 के बाद टेक्सटाइल रिप्रोसेसिंग यूनिटों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, फाल्टा से अनुरोध।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि वाणिज्य विभाग द्वारा फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की रिप्रोसेसिंग करने वाली यूनिटों पर नीति को अंतिम रूप दिए जाने के अधीन फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की रिप्रोसेसिंग करने वाली सभी यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि 30 जून 2013 तक वैध होगी। सभी समान यूनिटों के साथ एकसमान बर्ताव का सुनिश्चय करने के लिए निर्णय लिया गया कि यह निर्णय सभी फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की रिप्रोसेसिंग करने वाली सभी यूनिटों पर लागू होगा जिसमें ऐसी यूनिटें भी शामिल हैं जिन्हें 30 जून 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है।

(iii) 24 मार्च, 2013 से 23 मार्च, 2018 तक 5 साल की दूसरी अवधि के लिए स्क्रैप आधारित रिसाइकलिंग यूनिट अर्थात मैसर्स एसईजेड रिसाइकलिंग जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड में रिसाइकलिंग यूनिट है, वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, एमईपीजेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि वाणिज्य विभाग इस संबंध में विकास आयुक्त, एमईपीजेड से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा तथा आवश्यक जांच के बाद फाइल पर उपयुक्त निर्णय लेगा।

मद संख्या 57.9 : विविध मामले

(i) गुड़गांव, हरियाणा में स्थित जैव प्रौद्योगिकी के लिए अपने दो अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विलय के लिए मैसर्स मयार इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने उपर्युक्त प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त की और मांग की कि पहले विकासक से ओवरब्रिज / अंडरपास का निर्माण करके सन्निकटता स्थापित करने के लिए कहा जाए और इसके बाद ही प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जाए। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(ii) मिहान एसईजेड जो नागपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड है, में 3 स्थायी फाटकों और 1 एयरक्राफ्ट इंट्री गेट के अनुमोदन के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि किसी अतिरिक्त जनशक्ति, सामग्री आदि पर वहन की गई कोई अतिरिक्त लागत विकासक द्वारा वहन की जाएगी।

(iii) अपने एसईजेड का लोकेशन माधापुर गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड जो गचिबावली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम माधापुर, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अपनी यूनिट के लोकेशन को मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड जो ग्राम गचिबाउली, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(iv) मैसर्स इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फाइनेंस कंपनी (आईडीएफसी) को कंपनी के शेयरों की 100 प्रतिशत बिक्री के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स नियोप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड था) जो पुणे, महाराष्ट्र में स्थित आईटी / आईटीईएस एसईजेड है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं।

(v) एसईजेड में स्थित यूनिटों द्वारा अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र की यूनिटों से जॉब वर्क करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स वेंचर आटोमोटिव टूलिंग इंडिया लिमिटेड जो श्री सिटी बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि यूनिट ने घरेलू बाजार के लिए डीटीए यूनिट से जॉब वर्क करने की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है जिसके कारणों में कार्यबल को काम देना, अपनी निष्क्रिय क्षमता का उपयोग करना शामिल है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(vi) एयर साइड गेट (सेकंड गेट) जिसकी आवश्यकता एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट की अक्सर इंट्री और एग्जिट के लिए होती है, के प्रयोग के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड जो मामिडीपल्ली गांव, शमशाबाद मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में एविएशन सेक्टर के लिए एसईजेड है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि किसी अतिरिक्त जनशक्ति, सामग्री आदि के लिए वहन की गई कोई अतिरिक्त लागत विकासक द्वारा वहन की जाएगी।

(vii) (1) एलसी फेरो क्रोम (2) एफसी मैग्नीज (3) फेरो मोलिबडनम और (4) फेरो टिटेनियम के विनिर्माण के लिए वीएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स लताशा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि यूनिट द्वारा आयात करने के लिए प्रस्तावित सामग्री निर्यात के लिए प्रतिबंधित मदों की श्रेणी में है। तद्नुसार, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस संबंध में

खान मंत्रालय तथा डीजीएफटी की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

(viii) मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डीटीए रिफाइनरी तथा आगामी सी2 कम्प्लेक्स को जोड़ने के लिए एसईजेड से होते हुए एक पाइप रैक इंस्टाल करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने पाया कि प्रस्ताव एक डीटीए यूनिट से दूसरी डीटीए यूनिट को गैस के परिवहन से संबंधित है जिसके लिए अधिसूचित आरआईएल एसईजेड के माध्यम से मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के लिए अनुरोध किया जा रहा है। इस आधार पर आरओडब्ल्यू की मांग की गई है कि यह सबसे छोटा मार्ग है तथा वैकल्पिक मार्ग लंबा होने के अलावा इससे परियोजना में विलंब होगा, तकनीकी समस्याएं आएंगी तथा लागत बढ़ेगी। यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा मामले पर विचार किया गया था जिसने परियोजना को अनुमोदित नहीं किया।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मामले को आस्थगित करने का निर्णय लिया ताकि वाणिज्य विभाग द्वारा इसमें शामिल मामले की पुन: जांच की जा सके।"

(ix) अपने शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स विकास टेलीकाम लिमिटेड जो बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं।

(x) बाटा नगर, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड तथा सह विकासक मैसर्स रीवर बैंक होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 8 जून 2010 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने विकासक मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड के विमुक्तीकरण के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की थी। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने बाटा नगर, पश्चिम बंगाल में क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए सह विकासक मैसर्स रिवरबैंक होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के विमुक्तीकरण के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(xi) सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अलीबाग, रायगढ़, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग एसईजेड के लिए मैसर्स मुंबई फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमिक जोन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में क्विप्पो इनफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट लिमिटेड) के अनुरोध पर पुनिर्विचार

6 माह की अवधि के अंदर उक्त परियोजना का विकास करने के लिए विकासक की प्रतिबद्धता के संबंध में विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड की सिफारिश को ध्यान में रखने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अनुमोदन बोर्ड की बैठक की तिथि से 6 माह की अगली अवधि के लिए अर्थात 15 सितंबर 2013 तक एलओए की वैधता अवधि इस शर्त के अधीन बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि इसके बाद अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी।

मद संख्या 57.10 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) 19 अक्टूबर 2012 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की 53वीं बैठक द्वारा मौजूदा एलओपी में यूरिया के निर्यात व्यापार को शामिल करने के लिए आवेदन अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स कंसोलिडेटेड कोबाल्ट केमिकल्स लिमिटेड जो केएएसईजेड की यूनिट है, की अपील

बोर्ड ने नोट किया कि आवेदक ने अपनी अपील को पुन: आस्थगित करने का अनुरोध किया है क्योंकि उसका प्रतिनिधि सुनवाई में शामिल होने में असमर्थ था। तद्नुसार मामले को आस्थगित कर दिया गया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

******